Rule 39 : Procedure for distribution of input tax credit by Input Service Distributor

(1) An Input Service Distributor shall distribute input tax credit in the manner and subject to the following conditions, namely,-

(a) the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details thereof shall be furnished in **FORM GSTR-6** in accordance with the provisions of Chapter VIII of these rules;

(b) the Input Service Distributor shall, in accordance with the provisions of clause (d), separately distribute the amount of ineligible input tax credit (ineligible under the provisions of sub-section (5) of section 17 or otherwise) and the amount of eligible input tax credit;

(c) the input tax credit on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax shall be distributed separately in accordance with the provisions of clause (d);

(d) the input tax credit that is required to be distributed in accordance with the provisions of clause (d) and (e) of sub-section (2) of section 20 to one of the recipients ***'R_1'***, whether registered or not, from amongst the total of all the recipients to whom input tax credit is attributable, including the recipient(s) who are engaged in making exempt supply, or are otherwise not registered for any reason, shall be the amount, "C_1", to be calculated by applying the following formula—

$$\mathbf{C_1 = (t_1 \div T) \times C}$$

where,

"C" is the amount of credit to be distributed,

"t_1" is the turnover, as referred to in section 20, of person R_1 during the relevant period, and

"T" is the aggregate of the turnover, during the relevant period, of all recipients to whom the input service is attributable in accordance with the provisions of section 20;

(e) the input tax credit on account of integrated tax shall be distributed as input tax credit of integrated tax to every recipient;

(f) the input tax credit on account of central tax and State tax or Union territory tax shall,&

(i) in respect of a recipient located in the same State or Union territory in which the Input Service Distributor is located, be distributed as input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax respectively;

(ii) in respect of a recipient located in a State or Union territory other than that of the Input Service Distributor, be distributed as

integrated tax and the amount to be so distributed shall be equal to the aggregate of the amount of input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax that qualifies for distribution to such recipient in accordance with clause (d);

(g) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor invoice, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, clearly indicating in such invoice that it is issued only for distribution of input tax credit;

(h) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor credit note, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, for reduction of credit in case the input tax credit already distributed gets reduced for any reason;

(i) any additional amount of input tax credit on account of issuance of a debit note to an Input Service Distributor by the supplier shall be distributed in the manner and subject to the conditions specified in clauses (a) to (f) and the amount attributable to any recipient shall be calculated in the manner provided in clause (d) and such credit shall be distributed in the month in which the debit note is included in the return in **FORM GSTR-6;**

(j) any input tax credit required to be reduced on account of issuance of a credit note to the Input Service Distributor by the supplier shall be apportioned to each recipient in the same ratio in which the input tax credit contained in the original invoice was distributed in terms of clause (d), and the amount so apportioned shall be—

(i) reduced from the amount to be distributed in the month in which the credit note is included in the return in **FORM GSTR-6;** or

(ii) added to the output tax liability of the recipient where the amount so apportioned is in the negative by virtue of the amount of credit under distribution being less than the amount to be adjusted.

(2) If the amount of input tax credit distributed by an Input Service Distributor is reduced later on for any other reason for any of the recipients, including that it was distributed to a wrong recipient by the Input Service Distributor, the process specified in clause (j) of sub-rule (1) shall apply, *mutatis mutandis,* for reduction of credit.

(3) Subject to sub-rule (2), the Input Service Distributor shall, on the basis of the Input Service Distributor credit note specified in clause (h) of sub-rule (1), issue an Input Service Distributor invoice to the recipient entitled to such credit and include the Input Service Distributor credit note and the Input Service Distributor invoice in the return in **FORM GSTR-6** for the month in which such credit note and invoice was issued.

नियम 39: इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया

(1) इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरक निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :–

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर–6** में दिए जाएंगे;

(ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा पात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा;

(ग) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा ;

(घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक 'आर 1' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त प्रदाय करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, ''सी1'' रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा–

$$\text{सी}_1 = (\text{टी}_1 \div \text{टी}) \times \text{सी}$$

जहां,

''सी'' वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,

''टी_1'', आर_1 व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और

''टी'', सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है;

(ड.) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा;

(च) केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,–

(i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमशः केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा;

(ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत कर के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की

रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है;

(छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, ऐसे बीजक में स्पष्टतः उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है;

(ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनुपट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाएं जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा;

(झ) प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को **प्ररूप जीएसटीआर–06** में विवरणी में सम्मिलित किया गया है;

(ञ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,–

(i) उस मास में, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर–06** में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या

(ii) प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन जो, समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है।

(2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए गए गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (5) में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक नामे नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था, **प्ररूप जीएसटीआर–06** में विवरणी में सम्मिलित करेगा।